रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127
REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1990/आश्विन 12, 1912
No 434] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1990/ASVINA 12, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1990

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण) नियम 1990

सा.का.नि. 825(अ):—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1990 है।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इन नियमों के उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1989 से लागू समझा जाएगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) विकास अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:—

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) आधार: 1960+100 की श्रृंखला में सूचकांक संख्या 600

(ग) दर: मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 600 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के बढ़ने या उनमें कमी आने के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। विकास अधिकारियों को मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा—

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की दर
(i) 2500 रु. तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत;
(ii) 2501 रु. और उससे अधिक	2500 रु. का 0.67 प्रतिशत धन 2500 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत।"

3. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. साम्यापूर्ण अनुतोष —

(1) (क) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, विद्यमान विकास अधिकारियों के इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन 1 अप्रैल, 1988 से नियत करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा और 1 अप्रैल 1988 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संबलम की बकाया मंजूर कर सकेगा, जो उनके तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिकों और वार्षिक पारिश्रमिकों का भाग होगी :

परन्तु विकास अधिकारी, इन नियमों के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर यह चयन कर सकेगा कि ऐसे संबलम का बकाया या उसका कोई अंश, 1 अप्रैल, 1989 के ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के और अतिशेष उसके ठीक पश्चात् प्रारम्भ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के उसके तदर्थ पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

(1) (ख) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृन्द) विनियम, 1960 के विनियम 51 के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, विद्यमान विकास अधिकारियों को इन नियमों के नियम 5 के अनुसार साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में 1 अप्रैल, 1988 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए महंगाई भत्ते के संदाय का उपबंध कर सकेगा जो उनके तदर्थ पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

परन्तु विकास अधिकारी, इन नियमों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर यह चयन कर सकेगा कि महंगाई भत्ते का ऐसा बकाया या उसका कोई अंश 1 अप्रैल, 1990 के ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के और अतिशेष उसके ठीक पश्चात् प्रारम्भ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के उसके तदर्थ पारिश्रमिक और वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

स्पष्टीकरण :

इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "विद्यमान विकास अधिकारी" पद से ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विकास अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(2) (क) संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित संबलम् उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

(2)(ख) संदेहों का निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1990 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित महंगाई भत्ता उस वित्तीय वर्ष में सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक पारिश्रमिक का भाग होगा।

(3) निगम, कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षण वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त होने जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबंधन और शर्तें क्या होंगी :

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की दशा में, जिनकी सेवाएं विशेष उपबन्धों के अधीन पर्यवसित की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां मूल वेतन ऐसे नियम के अनुसार नियत किया जाता है वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे।"

[फा.सं. 2 (26)/बीमा-3/90(1)]
एस. कानन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, 1 अप्रैल, 1989 से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के नियन्धनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, नियम 1 अप्रैल, 1989 से बनाए जा रहे हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद-टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1091 (अ) तारीख 17-9-1986 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 962 तारीख 7-12-1987, सा.का.नि.871(अ) तारीख 22-8-1988, सा.का.नि. 968 तारीख 7-11-1989 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
INSURANCE DIVISION
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 1990

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA DEVELOPMENT OFFICERS (REVISION OF DEARNESS ALLOWANCE) AMENDMENT RULES, 1990

G.S.R. 825 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1990.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1989.

2. In rule 5 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and

Conditions of Service), Rules, 1986, for sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The scales of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under :—

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No. 600 in the Series 1960 + 100.

(c) Rate : Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall, in quarterly average of the All India Consumer Price Index above 600 points. Development Officers may be paid dearness allowance at the following rates :—

Basic Pay	Rate of dearness allowance for every 4 points
(i) Rs. Upto Rs. 2500/-	0.67% of basic pay;
(ii) Rs. 2501 and above	0.67% of Rs. 2500/- plus 0.55% of basic pay in excess of Rs. 2500/-".

3. For rule 10 of the said rule the following rule shall be substituted namely :—

"10. Equitable Relief :

(1) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, by instructions issued in this behalf under regulation 51 of the Staff Rules, provide for the fixation of basic pay of existing Development Officers in the scale of pay as revised by these rules, with effect from 1st day of April 1988 and grant arrears of salary for the period commencing on the 1st day of April, 1988 and ending on 31st day of March, 1989 by way of equitable relief, which shall form part of their adhoc annual remuneration and annual remuneration :

Provided that a Development Officer may, within 30 days of the publication of these rules, choose that such arrears of salary of any part thereof shall form part of his ad hoc annual remuneration and annual remuneration for the appraisal year ending immediately after the 1st day of April, 1989, and, in respect of any balance thereof, for the appraisal year commencing immediately thereafter.

(1) (b) Nothwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, by instructions issued in this behalf under Regulation 51 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, provide for payment of dearness allowance to existing Development Officers in accordance with rule 5 of these rules, for the period commencing on the 1st day of April, 1988 and ending on 31st day of March, 1989, by way of equitable relief which shall form part of their adhoc remuneration and annual remuneration :

Provided that a Development Officer may, within 30 days of the publication of these rules, choose that such arrears of Dearness Allowance or any part thereof shall form part of his adhoc annual remuneration and annual remuneration for the appraisal year ending immediately after the 1st day of April, 1990, and, in respect of any balance thereof, for the appraisal year commencing immedately thereafter.

EXPLANATION :

For the purpose of this sub-rule the expression "existing Development Officers" means employees who are working as Development Officers on the date of publication of these rules.

(2)(a) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 1989 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2)(b) For the removal of doubts, it is clarified that the Dearness Allowance relating to the financial year commencing on the 1st April, 1990 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(3) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under Regulation 51 of Staff Rules for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st April, 1988, but before the date of publication of these rules, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payment by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof :

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the special provisions.

(4) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.".

[F. No. 2(26)[Ins.III/90(I)]
S. KANNAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded its approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 1989. The rules are being made accordingly with effect from 1st April, 1989. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Foot Note : The principal rules were published under Notification No. GSR 1091 (E) dated 17-9-1986 subsequently amended by Notification Nos. GSR 962 dated 7-12-1987, GSR 871 (E) dated 22-8-1988, GSR 968 dated 7-11-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990